कार्यालय : जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ ।

:: प्रपत्र - 02 ::

पत्रांक 66/

प्रेषक :

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम
-सह- सचिव, जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में,

प्रबंधक / अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य
DAYAWATI MODI PUBLIC SCHOOL HUMID CHANDIL
सरायकेला-खरसावाँ

सरायकेला, दिनांक 20-01-2021

विषय : *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम के अधीन एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक 629 दिनांक 25.04.2019 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र ।*

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि निजी विद्यालय के मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के आलोक में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, सरायकेला-खरसावाँ की दिनांक 10.12.2020 को आहूत बैठक में प्राप्त प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत समिति के द्वारा आपके विद्यालय दयावती मोदी पब्लिक स्कूल हुमिद, चाण्डिल, सरायकेला-खरसावाँ को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से कक्षा-01 से 08 तक के लिए विभागीय शर्तों के अनुसार औपबंधिक रूप से मान्यता प्रदान की जाती है। आपके विद्यालय को छःह माह के अन्दर सभी विभागीय शर्तों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, अन्यथा मान्यता वापस ले ली जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

(1) इस मान्यता से किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/सम्बद्धन करने के लिए बाध्यता निहित नही है ।

(2) विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के उपबंधो तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 1291 दिनांक 11.05.2011 एवं यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 25.04. 2019 में उल्लेखित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाय ।

(3) विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा के बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आसपास कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चो को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पुर्ण होने तक उपलब्ध कराएगा ।

(4) उक्त कंडिका-3 में उल्लेखित बालको के लिए विधालय की अधिनियम धारा 12 की उपधारा (2)के उपबंधो के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विधालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।

(5) विधालय किसी भी प्रकार से बच्चो या उनके अभिभावको से कोई कैपिटेशन शूल्क नही लेगा और विधालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा ।

(6) विधालय किसी बालक का आयू का सबुत नही होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन किया जाएगा।

(7) विधालय निम्नलिखित बिन्दुओ का अनुपालन सुनिश्चित करेगें ।

(क) प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को विधालय में उसकी प्रांरभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुर्तीण नही किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।

(ख) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक दण्ड नही दिया जायेगा ।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से काई बोर्ड परीक्षा उर्तीण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(घ) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(ड) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओ वाले विधार्थियो को प्रवेश दिया जाएगा।

(च) संबंधित विधालय अपने पास-पडोस के 01 से 05 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र के कम से कम 80 प्रतिशत बालको का आर0टी0ई0के अंतर्गत 25 प्रतिशत नामांकन सहित अपने विधालय में नामांकन सूनिश्चित करेगा।

(छ) विधालय अपने मुख्य प्रवेश एवं निकास द्वार जो मुख्य अथवा सहायक पथ पर पडते है उसे आम आवागमन के लिए बाधित नही किए जाने की जबाबदेही लेंगें तथा इस हेतु पूर्व से ही आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था करेंगें।

(ज) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1)के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा निर्धारित अहर्ताएं के अनुरूप किया जाएगा तथा उनके पास उनके निर्धारित न्यूनतम अहर्ता अधिनियम 2009 के लागू की जाएगी।

(झ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यो का पालन करेंगें ।

(ट) अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेंगें।

RTE के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सभी विधालयो को इस नियमावली के लागू होने के एक वर्ष के अन्दर पुनः निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।

8. विधालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विधालय के मानको और सन्नियमो को बनाए रखेगा।

9. विधालय जाँच हेतु अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित न्यूनत सूचना अक्षुण्ण रखेगा।सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मान्यता को रद्ध कर दिया जाएगा।

10. विधालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विधालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी ।

11. विधालय भवनो या अन्य संरचनाओ या कीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

12. विधालय को किसी व्यक्ति के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए नही चलाया जायेगा।

13. विधालय के लेखाओं की किसी चार्टर अंकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण किया जाना चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजना होगा।

14. विधालय ऐसी प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार /स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने की लिए जारी किए जाये।

15. विधालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उसी सोसाईटी द्वारा तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जायेगा।

16. विधालय के बच्चो के निःशूल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 झारखंड के बच्चो के निःशूल्क एव अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 एवं विधालय को विभागीय अधिसूचना संख्या-629 दिनांक 25.04.2019 में अंकित प्रावधानो एवं शर्तो को लागू करना होगा।

17. विधालय को एवं उससे संबंधित परिसम्पति का सही सही विवरण उपलब्ध कराने /अभिलेख संधारण उसके नियमानुकूल अथवा वैधानिक रूप से क्रय /हस्तांतरण/प्राप्ति की पूरी पूरी जवाबदेही संबंधित विधालय एवं उसके सोसाईटी की है एवं होगी ।अतएव यदि भविष्य में इससे संबंधित कोई विवाद / वाद / माननीय न्यायालय वाद / अपराधिक वाद उत्पन्न होता है तो विभाग / सरकार / जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की कोई जवाबदेही नही होगी । इसकी पूरी-पूरी जवाबदेही संबंधित विधालय के प्रबंध समिति एवं उसकी सोसाईटी की होगी।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक - **SKL/PVT/UND/ 013 /2021** है। कृपया इसे नोट कर लें एवं इस कार्यालय के साथ भविष्य में किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख किया जाय।

20/1/21

जिला शिक्षा अधीक्षक

सरायकेला-खरसावाँ।

Dayawati Modi Public School Affiliation No. 3430214 Umesh Nagar, Chandil

Dayawati Modi Public School

Manager

PRINCIPAL

Dayawati Modi Public School

Chandil